

उपक्रम

1. आवेदक स्वीकार करता है कि विशेष रूप से इस उपक्रम के तहत परिभाषित नहीं किए गए सभी पूंजीकृत नियमों का अर्थ इस उपक्रम ("लोन शर्तें") से जुड़े लोन के सामान्य नियमों और शर्तों के तहत दिया गया है, आवेदक ने इस आवेदन में उल्लिखित वित्त सुविधा के लिए मनीव्यू मोबाइल एप्लिकेशन मनीव्यू लिमिटेड(पहले इसे 'मनीव्यू प्राइवेट लिमिटेड' और 'विज़डम इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से जाना जाता था) ("प्लेटफॉर्म") पर आवेदन पत्र के माध्यम से एक आवेदन किया है। आवेदक घोषणा करता है कि इस आवेदन पत्र में दिए गए / भरे गए सभी विवरण और जानकारी सभी मामलों में सत्य, सही, पूर्ण हैं और कोई भी जानकारी रोकी नहीं गई है। आवेदक समझता है कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी उस लोन का आधार बनेगी जो विज़डम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ("विज़डम फाइनेंस") आवेदक को देने का निर्णय ले सकता है और यदि इस आवेदन की प्रक्रिया के किसी भी चरण में, यदि विज़डम फाइनेंस को यह ज्ञात होता है कि, आवेदक ने कोई गलत या अधूरी जानकारी प्रदान की है, जाली या नकली दस्तावेज प्रदान किये गए हैं, इसे आवेदक द्वारा विज़डम फाइनेंस के साथ हेर फेर माना जाएगा और विज़डम फाइनेंस को इस लोन आवेदन को तुरंत अस्वीकार करने, किसी भी मंजूरी या आगे के ड्रॉ-डाउन को रद्द करने या आवेदन पत्र की प्रक्रिया के किसी भी चरण में दिए गए किसी भी लोन को वापस लेने का अधिकार होगा, विज़डम फाइनेंस और उसके कर्मचारी / प्रतिनिधि / एजेंट / सेवा प्रदाता इस तरह की अस्वीकृति के लिए या आवेदक को इस तरह की अस्वीकृति के बारे में सूचित करने में किसी भी देरी के लिए (किसी भी भुगतान के लिए जो आवेदक द्वारा रद्द करने से पहले किसी भी विक्रेता / सेवा प्रदाता को किया जा सकता है) आवेदक के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार / उत्तरदायी नहीं होंगे। आवेदक समझता है कि विज़डम फाइनेंस अन्य स्रोतों/एजेंटों से भी ऐसे उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करेगा जैसा कि गोपनीयता नीति के तहत विस्तृत किया गया है और आवेदक स्पष्ट रूप से इसके लिए सहमति / अनापत्ति प्रदान करता है। आवेदक आगे पुष्टि करता है कि आवेदक को विज़डम फाइनेंस से वित्त प्राप्त करने के सभी नियमों और शर्तों के बारे में जानकारी है। आवेदक विज़डम फाइनेंस को इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के संदर्भ में पूछताछ करने का अधिकार देता है, जिसे विज़डम फाइनेंस आवश्यक समझता है, जिसमें बैंकों/वित्तीय संस्थानों/ ट्रांसयूनियन सिबिल शामिल हैं जहां आवेदक के बैंक खाते हैं। आवेदक समय-समय पर आवेदक का पैन नंबर/ प्रतिलिपि, अन्य पहचान पत्र /पता प्रमाण और बैंक खाता विवरण, आवेदक के लोन विवरण और पुनर्भुगतान इतिहास से संबंधित सभी सूचनाओं को अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों आदि के साथ विनिमय/साझा करने के लिए विज़डम फाइनेंस को सहमति / अधिकार देता है और समय-समय पर ब्यूरो रिपोर्ट और ऐसी अन्य रिपोर्ट प्राप्त करता है/ बनाता है जिसकी आवश्यकता हो सकती है और आवेदक इस जानकारी के उपयोग के लिए विज़डम फाइनेंस को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। आवेदक पुष्टि करता है कि आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक या बैंकरप्सी कार्यवाही नहीं है।
2. आवेदक घोषणा करता है कि आवेदक ने आवेदन पत्र एकत्र करने वाले व्यक्ति को इस आवेदन पत्र के साथ या उसके संबंध में नकद, धारक चेक या किसी अन्य विधि द्वारा कोई भुगतान नहीं किया है। आवेदक इस आवेदन पत्र को एकत्र करने वाले व्यक्ति को आवेदक द्वारा किए गए किसी भी भुगतान के लिए विज़डम फाइनेंस या उसके कर्मचारियों/प्रतिनिधियों/एजेंटों/सेवा प्रदाताओं को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा।
3. आवेदक एतद्वारा पुष्टि करता है कि आवेदक आवेदन पत्र में उल्लिखित मोबाइल नंबर पर टेलीफोनिक कॉल, या संदेश के माध्यम से, या किसी अन्य संचार विधि के माध्यम से, विज़डम फाइनेंस या मनीव्यू द्वारा प्रदान की जाने वाली लेन-देन संबंधी जानकारी, विभिन्न लोन प्रस्ताव योजनाओं या लोन प्रचार योजनाओं या किसी भी अन्य प्रचार योजनाओं के विषय में सूचित किया जाना चाहता है और इसके द्वारा विज़डम फाइनेंस/मनीव्यू और उनके कर्मचारी, एजेंट, सहयोगी को ऐसा करने का अधिकार देता है। आवेदक पुष्टि करता है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित "नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री" ("एनडीएनसी रजिस्ट्री") में निर्दिष्ट अवांछित संचार के संबंध में

कानून विज़डम फाइनेंस/मनीव्यू, उसके कर्मचारियों, एजेंटों / सहयोगियों से प्राप्त ऐसे संचार / कॉल / एसएमएस के लिए लागू नहीं होंगे। आवेदक स्वीकार करता है कि विज़डम फाइनेंस और मनीव्यू एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और आवेदक के पास मनीव्यू द्वारा व्यवस्थित/प्रदान की गई किसी भी लोन या अन्य सुविधा के लिए विज़डम फाइनेंस के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा, जिसे विज़डम फाइनेंस द्वारा स्वीकृत/वितरित नहीं किया गया है। आवेदक स्वीकार करता है कि विज़डम फाइनेंस किसी भी अन्य उत्पाद या सेवाओं के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई प्रतिनिधित्व, वादा, बयान या समर्थन नहीं करता है जो मनीव्यू द्वारा प्रदान किया जा सकता है और इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

4. आवेदक समझता है कि आवेदक के पास व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग के लिए सहमति देने या अस्वीकार करने, तीसरे पक्ष को प्रकटीकरण प्रतिबंधित करने, जानकारी प्रतिधारण, व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने के लिए पहले से दी गई सहमति को रद्द करने और यदि आवश्यक हो, तो समय-समय पर जानकारी को हटाने / भूलने के लिए मनीव्यू को निर्देश देने का विकल्प है, हालांकि, आवेदक एतद्वारा स्पष्ट व अपरिवर्तनीय रूप से विज़डम फाइनेंस/मनीव्यू को आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी/केवाईसी के किसी भी पहलू को सीधे या किसी भी अधिकृत एजेंसी के माध्यम से एकत्रित करने, साझा करने, प्राप्त और प्रमाणित करने और ऐसी जानकारी को अपने एजेंटों/ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं को प्रकट करने का अधिकार दिया गया है और इसकी गोपनीयता निति में विस्तृत शर्तों के अनुसार ऐसी जानकारी का उपयोग इस प्रकार करने जो विज़डम फाइनेंस/मनीव्यू द्वारा आवश्यक हो सकता है। इस संबंध में, आवेदक स्पष्ट और अपरिवर्तनीय रूप से आवेदक को किसी भी नोटिस के बिना लागू नियमों के तहत अनुमत किसी भी तरीके से आवेदक की व्यक्तिगत पहचान जानकारी/केवाईसी को एकत्र, उपयोग, सत्यापित और प्रमाणित करने के लिए विज़डम फाइनेंस/मनीव्यू को अधिकार देता है।
5. आवेदक पुष्टि करता है कि आवेदक ने लोन की शर्तों को पढ़, समझ और स्वीकार कर लिया है।
6. आवेदक पुष्टि करता है कि आवेदक विज़डम फाइनेंस के निदेशक या वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार / संबंधित इकाई नहीं है।
7. लोन शर्तों में निर्धारित वह आवेदक द्वारा सहमत किसी भी घटना वह कार्यक्रम से ठीक से सहमत न होने पर विज़डम फाइनेंस कानूनी कार्रवाई करने का हकदार होगा।
8. आवेदक आगे घोषणा करता है कि आवेदक अंग्रेजी भाषा में प्रवीण है या उसने एक सलाहकार से परामर्श किया है जो अंग्रेजी भाषा में पर्याप्त रूप से कुशल है, ताकि आवेदक को इस कार्य की शर्तों, लोन शर्तों और किसी भी अन्य सुविधा संबंधित दस्तावेजों को समझने की अनुमति मिल सके। आवेदक पुष्टि करता है कि आवेदक सुविधा से संबंधित सभी प्रकार के संचार के लिए अंग्रेजी को वरीयता देता है। आवेदक यह जानता है कि यदि आवेदक को यह दस्तावेज़ या सुविधा से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज़ जिसका अनुवाद अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में किया गया है, प्राप्त होता है और यदि अनुवादित संस्करण का अर्थ अंग्रेजी संस्करण से अलग है, तो यह संस्करण सुविधा की शर्तों को नियंत्रित करेगा।
9. आवेदक एतद्वारा यह पुष्टि करता है कि आवेदक संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी अन्य विदेशी देश का नागरिक नहीं है और आवेदक जन्म / निवास और देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिक है और आवेदक ने पहले कभी भारतीय नागरिकता का त्याग या उसे नागरिकता से वंचित नहीं किया गया है। आवेदक आगे पुष्टि करता है कि आवेदक एफएटीएफ द्वारा परिभाषित राजनीतिक रूप से आरक्षित व्यक्ति नहीं है।
10. आवेदक सहमत है और समझता है कि बीमा और/या कोई भी तृतीय-पक्ष उत्पाद/सेवाएं जो प्लेटफॉर्म पर प्रचारित की जाती हैं, इस आवेदन पत्र के प्रोसेसिंग और इसके अंतर्गत सुविधा के वितरण के उद्देश्य से अनिवार्य नहीं हैं। आवेदक स्वीकार करता है कि इस तरह के बीमा और/या प्लेटफॉर्म पर अन्य उत्पादों के साथ-साथ किसी भी तीसरे पक्ष के उत्पादों/सेवाओं का लाभ उठाना आवेदक का विवेकाधिकार होगा। यदि चुना जाता है, तो आवेदक एतद्वारा विज़डम फाइनेंस को बीमा कंपनी/तृतीय पक्ष को संबंधित राशि काटने और स्थानांतरित करने और विज़डम फाइनेंस के साथ

देय मेरी सुविधा के विरुद्ध बीमा कंपनी से दावे के खिलाफ किसी भी धनवापसी/भुगतान (जो भी तरीके से वर्णित है) को समायोजित करने के लिए सहमति प्रदान करता है।

11. आवेदक यह जान और समझ गया है कि यह आवेदन पत्र सुविधा की गारंटी नहीं है और विज़डम फाइनेंस किसी भी समय अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज का अनुरोध कर सकता है जिनकी आवश्यक हो सकती है।
12. आवेदक आगे यह पुष्टि करता है कि वे ऋण दस्तावेजों के मानक मसौदे को क्षेत्रीय भाषाओं में यहाँ देख सकते हैं: <https://whizdmfinance.com/vernacular-disclosure-of-loan-documents/>। यदि आवेदक अपने ऋण दस्तावेज़ किसी विशेष क्षेत्रीय भाषा में प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे सहायता के लिए हमारी ग्राहक सहायता टीम से संपर्क कर सकते हैं।

लोन के लिए सामान्य नियम और शर्तें

लोन के लिए सामान्य नियम और शर्तें ("लोन की शर्तें") विज़डम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय नंबर १७/१, तीसरी मंजिल, द एट्रेस बिल्डिंग, आउटर रिंग रोड, मराठाहल्ली, कडुबिसेनाहल्ली, बेंगलुरु – ५६०१०३ में है। ('विज़डम फाइनेंस' जिसका अर्थ इसमें इसके उत्तराधिकारी और असाइनमेंट शामिल होंगे)

1. परिभाषाएं

इन लोन शर्तों और लोन आवेदन पत्र में निहित नियम और अभिव्यक्ति निम्नानुसार परिभाषित की गई हैं:

- 1.1 "लागू कानून" का अर्थ है और इसमें सम्मिलित है कोई भी स्थिति, कानून, विनियमन, अध्यादेश, नियम, निर्णय, कानूनी नियम, आदेश, आज्ञा, निकासी, अनुमोदन, निर्देश, दिशानिर्देश, नीति, आवश्यकता या अन्य सरकारी प्रतिबंध या किसी भी वैधानिक या नियामक प्राधिकरण द्वारा पूर्वगामी में इसी प्रकार के निर्णय, व्याख्या या प्रशासन शामिल हैं, चाहे इन लोन की शर्तों के लागू होने की तारीख के अनुसार या उसके बाद प्रत्येक मामले में संशोधित किया गया हो।
- 1.2 "आवेदन पत्र" का अर्थ है निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जो ऋणी द्वारा समय-समय पर वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए विज़डम फाइनेंस को प्रस्तुत किया गया है।
- 1.3 "ऋणी" का अर्थ है ऋणी जैसा कि स्वीकृति पत्र या/मुख्य तथ्य पत्र "केएफएस" में वर्णित है;
- 1.4 "ऋणी की देयता" का अर्थ है ऋणी द्वारा विज़डम फाइनेंस को देय सभी राशि, जिसमें देय लोन राशि, ब्याज, अतिदेय प्रभार, अन्य सभी प्रभार, लागत और व्यय शामिल हैं जो समय-समय पर देय हो सकते हैं;
- 1.5 "व्यवसाय दिवस" का अर्थ उस दिन से होगा, जिसमें सामान्य कार्य के घंटे शामिल हैं, जिस दिन निर्धारित बैंक बेंगलूर, भारत में कार्य करते हैं।
- 1.6 "कूलिंग-ऑफ अवधि" का अर्थ केएफएस के तहत निर्दिष्ट अवधि से होगा;
- 1.7 "नियत तारीख" का अर्थ उस तारीख से है जिस पर ऋणी की देय राशि के पुनर्भुगतान के लिए कोई राशि ऋणी से विज़डम फाइनेंस को पुनर्भुगतान अनुसूची या केएफएस के अनुसार देय है;
- 1.8 "ईएमआई" का अर्थ है वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार सावधि लोन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान के लिए ऋणी द्वारा भुगतान की जाने वाली समान मासिक राशि;
- 1.9 "सुविधा / सावधि लोन" का अर्थ है वित्तपोषण दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार विज़डम फाइनेंस द्वारा ऋणी को स्वीकृत और वितरित लोन राशि।
- 1.10 "वित्तपोषण दस्तावेज" का अर्थ है इन लोन की शर्तें, लोन आवेदन, केएफएस, मुख्तारनामा, जिसमें अनुलग्नक और ऋणी द्वारा निष्पादित या विज़डम फाइनेंस द्वारा समय-समय पर संशोधित आवश्यक कोई दस्तावेज, विलेख, घोषणा या कोई अन्य उपकरण शामिल हैं।
- 1.11 "ब्याज" का अर्थ है केएफएस में निर्धारित सावधि लोन पर लगाया गया ब्याज, जो समय-समय पर यहां दिए गए परिवर्तनों के अधीन है;
- 1.12 "मुख्य तथ्य विवरण" या "केएफएस" का अर्थ है विज़डम फाइनेंस और ऋणी के बीच निष्पादित दस्तावेज, जिसमें सुविधा की शर्तों का विवरण दिया गया है जिसमें ब्याज दर, अतिदेय प्रभार, अवधि, ईएमआई और ऐसे अन्य विवरण शामिल हैं, जो आवश्यक हो सकते हैं और के रूप में इन लोन शर्तों में संलग्न हैं किंतु सीमित नहीं हैं;
- 1.13 "महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव" का अर्थ है विज़डम फाइनेंस की राय में कोई भी घटना या परिस्थिति:
 - i. ऋणी की देय राशि का भुगतान करने की ऋणी की क्षमता को वास्तविक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है;

- ii. वित्तीय दस्तावेजों के तहत ऋणी की प्रदर्शन करने या अपने सभी दायित्वों का पालन करने की क्षमता को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है;
 - iii. ऋणी के व्यवसाय, कार्य, संपत्ति, स्थिति (वित्तीय या अन्यथा) या अपेक्षाओं को भौतिक या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है; या
 - iv. ऋणी के खिलाफ अपनी अपरिवर्तनीय शर्तों के अनुसार किसी भी वित्तपोषण दस्तावेज के कानूनी, वैध और बाध्यकारी नहीं होने की संभावना का परिणाम है।
- 1.14 "अतिदेय प्रभार"/"पेनल्टी प्रभार" का अर्थ है केएफएस में निर्धारित पेनल्टी प्रभार जो उन सभी देय राशियों पर देय है जो उनकी संबंधित नियत तारीखों पर भुगतान नहीं की जाती हैं;
- 1.15 "उद्देश्य" का अर्थ है केएफएस के तहत निर्दिष्ट विज़डम फाइनेंस से सावधि लोन प्राप्त करने का कारण।
- 1.16 "पुनर्भुगतान सूची" का अर्थ इन लोन शर्तों के साथ संलग्न अनुबंध में निर्धारित सूची से होगा, जिसमें ऋणी द्वारा प्राप्त सुविधा के पुनर्भुगतान के लिए ऋणी द्वारा भुगतान की जाने वाली ईएमआई की सूची का विवरण दिया गया है।
- 1.17 "एसएमए" का अर्थ है आरबीआई परिपत्र द्वारा परिभाषित विशेष उल्लेख खाता। जो DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 दिनांक जून 7, 2019 है।

इन लोन की शर्तों में, (ए) एकवचन में बहुवचन (और इसके विपरीत) शामिल है और (बी) लिंग के संदर्भ में महिला, पुरुष और तटस्थ लिंग के संदर्भ शामिल होंगे।

2. संवितरण

- 2.1 ऋणी द्वारा किए गए प्रतिरूप और वारंटी पर भरोसा करते हुए और ऋणी द्वारा प्रस्तुत लोन आवेदन के अनुरूप, ऋणी द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी जानकारी, विवरण, स्पष्टीकरण और घोषणाओं, यदि कोई ऋणी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, विज़डम फाइनेंस यह निहित शर्तों के अनुसार ऋणी को सावधि लोन उपलब्ध कराएगा और ऐसे अन्य नियम और शर्तें सावधि लोन की अवधि में समय-समय पर विज़डम फाइनेंस द्वारा ऋणी को सूचित की जाएंगी। ऋणी एतद्वारा प्रतिनिधित्व करता है और वचन देता है कि सावधि लोन का उपयोग केवल स्वीकृति पत्र/केएफएस में निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाएगा और ऋणी किसी भी अनैतिक, अवैध या सट्टा उद्देश्यों के लिए सावधि लोन या उसके हिस्से का उपयोग नहीं करेगा। ऋणी विज़डम फाइनेंस के अनुरोध पर, ऐसे सभी विवरण और साक्ष्य प्रस्तुत करेगा जो सावधि लोन की राशि के उपयोग के संबंध में आवश्यक हो सकते हैं।
- 2.2 ऋणी स्वीकृति पत्र/केएफएस में वर्णित तथ्यों के अनुसार गैर-वापसी प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करेगा, साथ ही उस पर यदि कोई कर लागू है तो उसका भी भुगतान करेगा। ऋणी इस बात से सहमत है कि यदि ऋणी ने सावधि लोन के साथ किसी बीमा उत्पाद का विकल्प चुना है, तो ऐसे बीमा के लिए बीमा प्रीमियम संवितरण के समय सावधि लोन राशि से काट लिया जाएगा। तदनुसार, ऋणी विज़डम फाइनेंस को सावधि लोन राशि से लागू करों के साथ इन राशियों को काटने और ऋणी को केवल शेष राशि वितरित करने के लिए भी अधिकृत करता है। ऋणी एतद्वारा पुष्टि करता है कि इस तरह के प्रभारों की कटौती के बावजूद, ऋणी विज़डम फाइनेंस को केएफएस के तहत निर्दिष्ट लागू करों के साथ ब्याज, अतिदेय प्रभार और अन्य प्रभारों के साथ पूरा सावधि लोन चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 2.3 ऋणी के पास केएफएस में यथा निर्दिष्ट क्लिंग-ऑफ अवधि के भीतर बिना किसी पेनल्टी के मूलधन और

आनुपातिक वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) का भुगतान करके सावधि लोन से बाहर निकलने का विकल्प होगा, जैसा कि केएफएस में बताया गया है। हालांकि, विज़डम फाइनेंस द्वारा लगाए गए प्रोसेसिंग फीस और अन्य वैधानिक प्रभार गैर-वापसी होंगे। क्लिंग-ऑफ अवधि की समाप्ति के बाद ऋणी द्वारा कोई भी पूर्व भुगतान इन लोन शर्तों के खंड 3.5 के अधीन होगा।

3. ब्याज और पुनर्भुगतान

- 3.1 ऋणी देय सावधि लोन पर ब्याज और स्वीकृति पत्र/केएफएस में दिए गए प्रावधान के अनुसार देय अन्य सभी राशियों का भुगतान करेगा। ऋणी अतिरिक्त रूप से सहमत है कि सावधि लोन संवितरण की संबंधित तिथि से ईएमआई ("ब्रोकन पीरियड ब्याज") शुरू होने की तिथि तक ब्याज दर के अधीन होगा, जिसे आपकी पहली ईएमआई में जोड़ा जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में, यदि किस्त का भुगतान नियत तिथि को नहीं किया जाता है तो सभी अतिदेय राशियां पर केएफएस में निर्धारित दर के आधार पर अतिदेय प्रभार अर्जित किया जायेगा जिनकी गणना भुगतान के लिए संबंधित नियत तारीखों से की जाएगी और यह यदि कोई कर लागू है तो उसके अध्यक्षीन हो सकते हैं। किसी भी दरों, करों, प्रभारों, आयात, करारोपण और धन में वृद्धि के कारण ईएमआई स्वतः बढ़ जाएगी जो कि ईएमआई पर कर क रूप में लगाई जा सकती है और विज़डम फाइनेंस द्वारा निर्धारित होगी। जैसा की ऊपर कहा गया है, दर, कर, फीस और धन में वृद्धि, स्वतः ही इस अनुबंध के तहत स्वीकृत सावधि लोन का हिस्सा बन जाएगी।
- 3.2 समय पर प्रत्येक ईएमआई का भुगतान अनुबंध का सार है। ऋणी स्वीकार करता है कि उसने ईएमआई की गणना की विधि को समझ लिया है और उस पर विवाद नहीं करेगा। ईएमआई केवल देय मूलधन और उस पर ब्याज के लिए होगी और इसमें कोई अतिदेय प्रभार या वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार ऋणी द्वारा देय कोई अन्य प्रभार शामिल नहीं है।
- 3.3 वित्तपोषण दस्तावेजों में कहीं भी कही गई किसी बात के बावजूद, किसी भी भौतिक प्रतिकूल प्रभाव या चूक की किसी भी घटना पर, ऋणी ऐसे अतिदेय प्रभारों का भुगतान करेगा जो केएफएस में निर्धारित किया गया है, इसके अतिरिक्त चूक की ऐसी घटना के सुधार की तारीख तक उसमें निर्दिष्ट ब्याज दिया जायेगा। साथ ही, ऋणी से कानूनी फीस के व्यय सहित लोन के भुगतान की प्रक्रिया में जो लगातार कष्ट के लिए या सभी लागतों और खर्चों की प्रतिपूर्ति करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। इस खंड में निहित कुछ भी विज़डम वित्त के लिए उपलब्ध अधिकारों व अन्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। अतिदेय प्रभार का भुगतान वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत किसी भी अन्य दायित्वों के ऋणी (ओं) को दोषमुक्त नहीं करेगा, जिसमें समय पर भुगतान करना या डिफॉल्ट के संबंध में विज़डम फाइनेंस के किसी भी अन्य अधिकार को प्रभावित करना शामिल है।
- 3.4 वित्तपोषण दस्तावेजों में कही गई किसी बात के अतिरिक्त, किसी भी भौतिक प्रतिकूल प्रभाव या चूक की किसी भी घटना पर, विज़डम फाइनेंस अपने विवेकाधिकार से और बिना किसी कारण की आवश्यकता के भौतिक प्रतिकूल प्रभाव या डिफॉल्ट की घटना की तिथि को ऋणी से देय राशि के तत्काल पुनर्भुगतान की मांग का अधिकार रखता है। ऋणी ऐसी मांग के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर बिना किसी देरी या विरोध के ऐसी राशि का भुगतान करेगा। यदि आवश्यकता है तो लागू कानूनों के अंतर्गत विज़डम फाइनेंस ब्याज दर को संशोधित करने का हकदार होगा, और विज़डम फाइनेंस देय सावधि लोन और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए ईएमआई / ईएमआई की संख्या की पुनर्गणना कर सकता है। विज़डम फाइनेंस द्वारा ऋणी को सूचित किया गया ऐसा कोई भी परिवर्तन अंतिम और ऋणी पर बाध्यकारी होगा और ऐसा परिवर्तन संभावित रूप से प्रभावी होगा। ऐसी स्थिति में, केएफएस के प्रावधानों के अतिरिक्त, ऋणी इसी संशोधित दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत होता है और इस अनुबंध का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इस तरह की संशोधित दर का उल्लेख यहां ब्याज के रूप में स्पष्ट रूप से किया गया था, और

ऋणी (ओं) विज़डम फाइनेंस को ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति या भुगतान करेगा जो विज़डम फाइनेंस द्वारा केंद्र या राज्य सरकार को ब्याज (और//) पर लगाए गए किसी कर के कारण भुगतान या देय हो सकती है। इस तरह के संशोधन की स्थिति में ऋणी बिना किसी पूर्व भुगतान प्रभार के, ऐसे संशोधन के 30 (तीस) दिनों के भीतर, अर्जित ब्याज (यदि लागू हो) के साथ संपूर्ण देय सावधि लोन का समय पूर्व भुगतान करने का हकदार होगा। यदि ऋणी कूलिंग-ऑफ अवधि के बाद सावधि लोन राशि का पूर्व भुगतान करना चाहता है, तो ऋणी द्वारा देय कोई भी पूर्व भुगतान जुर्माना विज़डम फाइनेंस के विवेक पर होगा विज़डम फाइनेंस द्वारा ऋणी को सूचित किया जायेगा।

- 3.5 ऋणी किसी भी ईएमआई/सावधि लोन का पूर्व-भुगतान शर्तों और पूर्व भुगतान प्रभारों, यदि कोई हो, के अधीन कर सकता है, जैसा कि लोन की शर्तों के तहत निर्दिष्ट किया गया है और केएफएस में उल्लेखित है।
- 3.6 ऋणी सभी ब्याज, करों, कर्तव्यों, उपकरणों, और अन्य प्रकार के करों का वहन करेगा, चाहे वह अब या भविष्य में लागू हो, वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत विज़डम फाइनेंस को किए गए किसी भी भुगतान के संबंध में किसी भी समय किसी भी कानून के तहत देय है। यदि यह व्यय विज़डम फाइनेंस द्वारा किए जाते हैं, तो ये ऋणी से वसूल करने योग्य होंगे और भुगतान की तारीख से प्रतिपूर्ति तक सावधि लोन के समान ब्याज दर पर होंगे।
- 3.7 सावधि लोन के संबंध में लोन खाते को भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा परिपत्रों/विनियमों के गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब ईएमआई (मूलधन और/या ब्याज) का भुगतान 90 दिनों से अधिक समय तक देय रहता है, अर्थात् लोन खाते को मूल देय तिथि से निरंतर चूक के 91वें दिन एनपीए के रूप में चिह्नित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि लोन खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और ऋणदाता को इस तिथि के कार्य दिवस से पूर्व पूर्ण देय राशि प्राप्त नहीं होती है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2021 होगी। यदि यह अतिदेय बना रहता है, तो यह खाता 30 अप्रैल, 2021 को कार्य दिवस के पूर्ण होने पर एसएमए-1 के रूप में टैग किया जाएगा, अर्थात्, लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए -1 वर्गीकरण की तारीख 30 अप्रैल, 2021 होगी। इसी तरह, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को कार्य दिवस के पूर्ण होने पर एसएमए 2 के रूप में टैग किया जाएगा, और यदि आगे अतिदेय बना रहता है, तो इसे 29 जून, 2021 को कार्य दिवस के पूर्ण होने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- 3.8 यदि किसी भुगतान की नियत तारीख कार्य दिवस नहीं है, तो राशि का भुगतान ऋणी द्वारा कार्य दिवस के तुरंत बाद किया जाएगा।
- 3.9 ब्याज, अतिदेय प्रभार और अन्य सभी प्रभार दिन-प्रतिदिन के आधार पर अर्जित किए जाएंगे और इनकी गणना वर्ष में 365 दिनों और बीते दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर की जाएगी।
- 3.10 ऋणी द्वारा विज़डम फाइनेंस को देय सभी राशि वैधानिक करों के अलावा किसी भी कटौती के बिना भुगतान की जाएगी। भुगतान के लिए क्रेडिट/डिस्चार्ज केवल देय राशि की रिकवरी पर दिया जाएगा।

4. भुगतान, पुनर्भुगतान और पूर्व भुगतान की विधि

- 4.1 जैसा कि समय-समय पर विज़डम फाइनेंस द्वारा अपेक्षित है, ऋणी की देयताओं के भुगतान के लिए ऋणी के बैंक खाते के विरुद्ध भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा अधिसूचित किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य समाशोधन के लिए ऋणी अधिकार (सामूहिक रूप से "एनएसीएच" के रूप में संदर्भित) राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस (डिबिट समाशोधन) प्रदान करेगा। इस तरह के एनएसीएच को ऐसे बैंक और स्थान से लिया जाएगा जिस पर विज़डम फाइनेंस द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। ऋणी, लोन की देय राशियों के लिए सभी भुगतानों का भुगतान पहली प्रस्तुति/नियत तारीखों पर बिना किसी असफलता के करेगा। ऋणी/(ऋणीओं) द्वारा प्रदत्त एनएसीएच का उपयोग विज़डम फाइनेंस द्वारा किसी ऋणी की देय राशि की रिकवरी के लिए किया जा सकता है। ऋणी एतद्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से विज़डम फाइनेंस को आवश्यक

लागू कानूनों के तहत अनुमत इस तरह की रिकवरी व सभी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है। ऋणी तुरंत (और किसी भी घटना में सात (7) दिनों के भीतर) ऋणी के देय राशि के भुगतान के लिए निष्पादित एनएसीएच और/या अन्य दस्तावेजों को बदल देगा, जो कि समय-समय पर विज़डम फाइनेंस द्वारा अपने विवेकाधिकार पर आवश्यक हो सकते हैं।

- 4.2 ऋणी को संबंधित देय तिथियों पर ऋणी की देय राशि के भुगतान के लिए हर समय अपने बैंक खात/खातों में पर्याप्त राशि रखनी होंगी। ऋणी उस बैंक खाते/खातों को बंद नहीं करेगा/रद्द नहीं करेगा जिससे एनएसीएच जारी किया गया है या रद्द करने या एनएसीएच के तहत भुगतान रोकने या देरी करने के लिए बैंक या विज़डम फाइनेंस को निर्देश जारी नहीं करेगा और विज़डम फाइनेंस ऐसे किसी भी संचार पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं है।
- 4.3 ऋणी सहमत है और स्वीकार करता है कि एनएसीएच ऋणी की देय राशि के निर्वहन में स्वेच्छा से जारी किया गया है ना की और किसी भी उद्देश्य के लिए सुरक्षा के माध्यम से। ऋणी यह भी स्वीकार करता है कि किसी भी एनएसीएच का अनादरण परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत एक आपराधिक अपराध है। ऋणी प्रत्येक एनएसीएच अनादरण (केएफएस में निर्धारित) के लिए अनादरण प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 4.4 किसी भी प्रकार का कोई विवाद या अंतर जो भी हो, ऋणी किसी भी ईएमआई या अन्य राशि के भुगतान को रोकने या देरी करने का हकदार नहीं होगा और विज़डम फाइनेंस संबंधित देय तिथियों पर एनएसीएच प्रस्तुत करने का हकदार होगा।
- 4.5 एनएसीएच जारी किए जाने के बावजूद, देय राशियों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ऋणी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- 4.6 ऋणी स्वीकार करता है और सहमत है कि विज़डम फाइनेंस, परिस्थितियों के अनुसार सही समझे तो, ईएमआई को बदलने या पुनर्निर्धारित करने का इस हद और सीमा तक अधिकारी होगा जो लागू कानूनों के तहत अनुमस्त है। विज़डम फाइनेंस अपने विवेकाधिकार में, ऋणी को उचित नोटिस के साथ निर्णय ले सकता है की ऋणी द्वारा पुनर्भुगतान उस तिथि से किया जायेगा जिस तिथि से ईएमआई बदली व पुनर्निर्धारित की गयी है तथापि इस अनुबंध के अनुलग्नक में जो भी कहा गया हो।
- 4.7 किसी भी दस्तावेज में कही गई किसी बात के बावजूद, सावधि लोन की निरंतरता विज़डम फाइनेंस के विवेकाधिकार पर होगी और यह किसी भी समय, अपने विवेकाधिकार और बिना कोई कारण बताए सावधि लोन की समीक्षा करने का अधिकार हो सकता है और (i) सावधि लोन या सावधि लोन के किसी भी अप्रयुक्त हिस्से को तुरंत बदलना, समाप्त करना, कम करना, निलंबित करना या रद्द करना और/या कोई भी उपलब्ध कराना बंद करना बंद कर सकता है वित्तपोषण दस्तावेजों या लागू कानून के तहत विज़डम फाइनेंस को उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों और उपायों के पूर्वाग्रह के बिना टर्म लोन का आगे उपयोग; और/या (ii) सावधि लोन प्रदान करने को रद्द करना, अस्वीकार करना या मना करना। इस खंड के अनुसार सावधि लोन को रद्द करने, निलंबित करने या अस्वीकार करने की ऐसी किसी भी सूचना की सूचना पर या सेवा पर, ऋणी की देय राशि ऋणी द्वारा विज़डम फाइनेंस को लागत, करों, प्रभारों, ब्याजों, अतिदेय प्रभार, प्रभार और सभी राशियों के साथ देय हो जाएगी जो इस तरह के पुनर्भुगतान के लिए नोटिस में विज़डम फाइनेंस द्वारा निर्दिष्ट तिथि पर देय हैं। विज़डम फाइनेंस द्वारा ऐसी मांग पर, ऋणी (ओं) को तथाकथित होने के 1 (एक) व्यावसायिक दिन के भीतर, बिना किसी देरी या देरी के ऋणी के पूरे देय का भुगतान करना होगा। विज़डम फाइनेंस द्वारा रद्दीकरण, निलंबन या अस्वीकृति नोटिस की सूचना या सेवा ऋणी पर अंतिम, गैर-परक्राम्य और बाध्यकारी होगी। कोई भी रद्दीकरण, निलंबन या अस्वीकृति किसी भी वित्तपोषण दस्तावेज की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी या ऐसे वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत ऋणी की देयता का निर्वहन नहीं करेगी।

4.8 विज़डम फाइनेंस को इन लोन शर्तों के तहत देय और देय किसी भी भुगतान को विनियोजित करने का अधिकार होगा और ऋणी (ओं) द्वारा ऋणी की देय राशि के लिए उस क्रम में किया जाएगा जिसे विज़डम फाइनेंस उपयुक्त समझता है, पहले, अतिदेय ईएमआई के लिए, यदि कोई हो; दूसरा, ब्याज की लिए, तीसरा, मूलधन के लिए और अंतिम सावधि लोन के तहत देय पूर्व भुगतान जुर्माना, लागत, प्रभार आदि खर्चों के लिए। यहां कही गई किसी भी बात के अतिरिक्त, विज़डम फाइनेंस अपने स्वर विवेकाधिकार से और जिस तरह उचित समझता है ऋणी से प्राप्त सभी भुगतानों के विनियोग के तरीके को संशोधित करने का अधिकार रखता है।

इसके अलावा, इस तरह के किसी भी विनियोग के बावजूद, ऋणी (ओं) का, ऋणी के सभी देय के लिए विज़डम फाइनेंस के प्रति उत्तरदायी बने रहना जारी रहेगा, जब तक कि विज़डम फाइनेंस की संतुष्टि के लिए इसका पूर्ण समझौता नहीं हो जाता।

5. ऋणी की अनुबंध, प्रतिनिधित्व और वारंटी

5.1 ऋणी यह करेगा:

- (i) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी दायित्वों का पालन और प्रदर्शन करना।
- (ii) विज़डम फाइनेंस को बैंक खाता विवरण सहित सभी दस्तावेजों को तुरंत वितरित करें, जो समय-समय पर विज़डम फाइनेंस द्वारा आवश्यक हो सकते हैं। ऋणी विज़डम फाइनेंस को निम्नलिखित के साथ स्वतंत्र रूप से संवाद करने के लिए भी सहमति देता है/अधिकृत करता है (i) कोई भी बैंक जहां ऋणी खाता रखता है और बैंक से ऐसे खाते के संबंध में विवरण और विवरण प्राप्त करने के लिए और (ii) जैसा विज़डम फाइनेंस आवश्यक समझे किसी भी ऋणी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ, ऋणी की साख की निगरानी के लिए भी।
- (iii) ऋणी के खिलाफ किसी भी मुकदमे या कानूनी कार्यवाही के बारे में विज़डम फाइनेंस को तुरंत सूचित करें।
- (iv) किसी भी भौतिक प्रतिकूल प्रभाव या डिफॉल्ट की घटना या किसी भी घटना के बारे में जो ऋणी द्वारा दायित्वों के प्रदर्शन में देरी कर सकती है और जिससे भौतिक प्रतिकूल प्रभाव या डिफॉल्ट की घटना हो सकती है के बारे में विज़डम फाइनेंस को तुरंत सूचित करें।
- (v) किसी भी अप्रत्याशित घटना या दैवीय घटना जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान या आंधी, आदि या अन्य समान घटनाओं के बारे में तुरंत विज़डम फाइनेंस को सूचित करें;
- (vi) 30 दिनों के भीतर कार्यालय/निवास/व्यवसाय के स्थान/पते या किसी भी परिवर्तन/इस्तीफे/समाप्ति/रोजगार/व्यवसाय/व्यवसाय के बंद होने के सभी परिवर्तनों के बारे में विज़डम फाइनेंस को लिखित रूप में सूचित करें।
- (vii) ब्याज और अन्य देयताओं और प्रभारों सहित देय सावधि लोन का पूर्ण भुगतान किए बिना रोजगार अथवा व्यवसाय अथवा विदेश में दीर्घकालिक प्रवास के लिए भारत से बाहर न जाना।
- (viii) वेतन और/अथवा व्यवसाय आय को उस खाते में जमा करना सुनिश्चित करना जिससे ईसीएस, विज़डम फाइनेंस को जारी की गई है।
- (ix) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 सहित लागू कानूनों का हर समय अनुपालन करना।
- (x) सावधि लोन का उपयोग केवल इस प्रयोजन के लिए करें।
- (xi) सभी करें, लगान, देयताओं, प्रभारों, उद्ग्रहणों और अधिरोपण जो समय-समय पर किसी सरकार या सांविधिक या विनियामक निकाय या प्राधिकरण को देय हों का नियमित भुगतान करना; विज़डम फाइनेंस के अनुरोध पर, ऐसे कार्य करें जो वित्तपोषण दस्तावेजों के प्रयोजन को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।
- (xii) ऋणी के परिसर और/या संपत्ति और/या परिसंपत्तियों के खिलाफ की जा रही किसी भी संकट या अदालत की

अन्य प्रक्रिया के बारे में विज़डम फाइनेंस को तुरंत सूचित करें।

- (xiii) व्यावसायिक घंटों के दौरान, विज़डम फाइनेंस, या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों, या एजेंटों को ऋणी के व्यवसाय के स्थान या निवास का निरीक्षण करने की अनुमति दें। इसके अलावा, ऋणी एतद्वारा वित्तीय दस्तावेजों के तहत देय राशि एकत्र करने के लिए ऋणी से उसके निवास स्थान पर संपर्क करने/व्यावसायिक घंटों के दौरान मिलने के लिए विज़डम फाइनेंस और उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को अनुमति देने के लिए सहमत है।
- (xiv) विज़डम फाइनेंस की पूर्व, विशिष्ट, और व्यक्त लिखित सहमति के बिना (ओं) (ए) किसी अन्य व्यक्ति को कोई और ऋणग्रस्तता नहीं बनाएगा, ग्रहण नहीं करेगा या वहन नहीं करेगा; (बी) किसी अन्य व्यक्ति के दायित्वों के संबंध में किसी भी राशि को उधार देना या अग्रिम देना या किसी भी गारंटी या सुरक्षा दायित्वों को पूरा करना; (सी) आवेदन पत्र में बताए गए अनुसार ऋणी द्वारा वर्तमान में किए गए व्यवसाय को बदलना, बंद करना या विविधता लाना या आवेदन पत्र में बताए गए अनुसार वर्तमान रोजगार या पेशे से सेवानिवृत्त/समाप्त होना/इस्तीफा देना; (डी) एनएसीएच अधिदेश के संबंध में बैंक खाता बंद करना यहां किसी भी भुगतान को प्रभावी करने के लिए सक्षम किया गया है;

5.2 ऋणी निम्नानुसार विज़डम फाइनेंस का प्रतिनिधित्व करता है और गारंटी देता है:

- (i) लोन आवेदन और किसी अन्य दस्तावेज में ऋणी द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी, चाहे ऋणी की क्रेडिट योग्यता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक हो या नहीं, सत्य और सही है और किसी भी तरह से भ्रामक नहीं है;
- (ii) घरेलू आय के संबंध में ऋणी द्वारा की गई घोषणा सत्य और सही है;
- (iii) ऋणी वित्तपोषण दस्तावेजों और उसके तहत लेनदेन को निष्पादित करने और निष्पादित करने के लिए लागू सभी कानूनों के तहत सक्षम और हकदार है;
- (iv) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत दायित्वों का निर्वहन, वितरण और निष्पादन ऋणी की शक्तियों के भीतर है, ऋणी किसी भी संपत्ति पर बाध्यकारी या प्रभावित करने वाले किसी भी अनुबंध का, और किसी भी लागू कानून या विनियमन का उल्लंघन नहीं करता है;
- (v) ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं होगी जो ऋणी के लिए वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना असंभव बना दें;
- (vi) ऋणी की आयु 18 वर्ष से अधिक है, वह स्वस्थ दिमाग का है, भारत का निवासी है और अनुबंध करने के लिए सक्षम है।
- (vii) लोन की शर्तें ऋणी के लिए एक कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व हैं, जो ऋणी के विरुद्ध शर्तों के अनुसार लागू करने योग्य हैं;
- (viii) ऋणी यह घोषणा करता है कि किसी भी कानून द्वारा उसे इस सावधि लोन का लाभ उठाने से निषिद्ध नहीं किया गया है;
- (ix) ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जो विज़डम फाइनेंस के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी या ऋणी की वित्तीय स्थितियों को प्रभावित करेगी या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत उनके सभी या किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए उसकी देयता को प्रभावित करेगी;
- (x) ऐसी कोई लंबित या धमकी भरी कार्रवाई नहीं है जो वित्तीय दस्तावेजों की वैधता या प्रवर्तनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
- (xi) ऋणी के पास परिपक्व होने पर अपने सभी दायित्वों को पूरा करने की क्षमता है;
- (xii) ऋणी किसी कर या सरकारी देयता के भुगतान की चूक में नहीं है;

- (xiii) ऋणी इन लोन शर्तों की शर्तों को प्रभावी करने के लिए विज़डम फाइनेंस द्वारा आवश्यक सभी कार्य, कर्म और चीज को करेगा;
- (xiv) ऋणी के विरुद्ध कोई बैंकरप्सी अथवा दिवालियापन की कार्यवाहियां शुरू नहीं की गई हैं। इसके अलावा, ऋणी ने अपने दिवालियापन के लिए दिवालियापन समाधान या दिवालियापन ट्रस्टी के रूप में या इसके लिए अन्य सामान अधिकारी या अपने सभी उपक्रमों परिसंपत्तियों और संपत्तियों के लिए एक दिवालिया पर पेशेवर की नियुक्ति के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है।
- (xv) ऋणी (ए) किसी भ्रष्ट/कपटपूर्ण व्यवहारों/मिलीभगत/जबरदस्ती के कार्यों; (बी) धन शोधन; या (सी) आतंकवाद का वित्तपोषण में संलग्न नहीं है;
- (xvi) ऋणी के आवासीय और आधिकारिक पते का विवरण, जैसा कि ऋणी द्वारा विज़डम फाइनेंस को अंतिम बार प्रदान किया गया है, वैध और मौजूद है और उक्त पतों में से किसी एक को पत्राचार के लिए वैध पता माना जाएगा जब तक कि अन्यथा लिखित रूप में ऋणी द्वारा विज़डम फाइनेंस को अधिसूचित न किया जाए; और
- (xvii) खंड 6 में यथा निर्दिष्ट चूक की कोई घटना घटित नहीं हुई है अथवा होने की संभावना नहीं है।
- (xviii) यदि विज़डम फाइनेंस को संदेह है या यदि सुविधा के संबंध में गलत काम या धोखाधड़ी गतिविधि का संकेत है, तो विज़डम फाइनेंस को उचित लगे तो एक आंतरिक और/बाह्य लेखापरीक्षक को आवश्यक जांच के लिए संलग्न कर सकता है। ऋणी को एसी कार्यवाही प्रारंभ होने से 7 दिन पहले नोटिस देना होगा।

5.3 ऋणी विज़डम फाइनेंस को ऋणी द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी का उपयोग/भंडारण करने के लिए अपनी सहमति देता है या अन्यथा विज़डम फाइनेंस द्वारा उस तरीके से खरीदा जाता है जिस तरह से वह इस सुविधा के प्रयोजनों के लिए या अपने व्यवसाय के लिए उपयुक्त समझता है और सहमत होता है कि विज़डम फाइनेंस अपने ठेकेदारों को ऐसी जानकारी का खुलासा कर सकता है, एजेंट और कोई अन्य तृतीय पक्ष। किसी तीसरे पक्ष (ओं) के साथ जानकारी का ऐसा साझाकरण, विज़डम फाइनेंस की गोपनीयता नीति के अधीन होगा जो विज़डम फाइनेंस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

5.4 ऋणी को पता है कि विज़डम फाइनेंस ने विज़डम फाइनेंस को सीधे या इस संबंध में अधिकृत किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से उपलब्ध कराए गए केवाईसी दस्तावेजों के आधार पर ऋणी को सुविधा प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है और ऋणी ने किसी भी तरह से किसी भी प्रासंगिक जानकारी को छुपाया नहीं है जो ऋणी को सुविधा प्रदान करने के विज़डम फाइनेंस के निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती थी।

6. डिफॉल्ट की घटनाएं

6.1 निम्नलिखित कार्य/घटनाएं, प्रत्येक इस सावधि लोन के प्रयोजनों के लिए ऋणी द्वारा "डिफॉल्ट की घटना" का गठन करेंगी:

- (i) ऋणी किसी भी ऋणी की देय राशि का भुगतान नियत तारीख पर करने में विफल रहता है या किसी भी कारण से इन लोन शर्तों के तहत दिए गए किसी भी एनएसीएच जनादेश या अन्य लिखत के भुगतान को रोकने के लिए कोई निर्देश जारी करता है;
- (ii) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत किसी भी शर्तों, वाचाओं, प्रतिनिधित्व, वारंटी, घोषणा या पुष्टि का उल्लंघन;
- (iii) ऋणी द्वारा कोई धोखाधड़ी या गलत बयानी या महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना जो किसी भी सुविधा को प्रदान करने के लिए विज़डम फाइनेंस के निर्णय को प्रभावित कर सकता था;
- (iv) ऋणी की मृत्यु, पागलपन या कोई अन्य स्थायी विकलांगता;

- (v) ऋणी इस प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए सावधि लोन का उपयोग करता है;
- (vi) किसी भी घटनाओं, शर्तों या परिस्थितियों (कानून में किसी भी बदलाव सहित) की घटना, जो विज़डम फाइनेंस की एकमात्र और पूर्ण राय में, एक भौतिक प्रतिकूल प्रभाव हो सकती है, जिसमें ऋणी के दिवालियापन/परिसमापन/दिवालियापन या उसकी किसी भी संपत्ति की कुर्की/ नियंत्रण के लिए किसी भी कार्यवाही या कार्रवाई की सीमा शामिल है;
- (vii) ऋणी द्वारा किसी जाली दस्तावेज को प्रस्तुत करना;
- (viii) ऋणी वित्तपोषण दस्तावेजों को अस्वीकार करता है या वित्तपोषण दस्तावेजों को अस्वीकार करने के इरादे को साबित करने वाले किसी भी कार्य या बात को करता है या करवाता है।
- (ix) ऋणी के सभी या पर्याप्त रूप से सभी उपक्रम, संपत्ति, या उसके हित सरकार के अधिकार द्वारा जब्त, राष्ट्रीयकृत, अनिवार्य रूप से अधिग्रहित किए जाते हैं;
- (x) ऋणी को स्वेच्छाचारी डिफॉल्टर घोषित किया गया है या ऋणी द्वारा किसी भी ऋणग्रस्तता का निर्वहन करने में विफलता जो देय और भुगतान योग्य हो गई है, या ऋणी को किसी भी लागू कानून के प्रयोजनों के लिए माना जाता है कि वह अपने लोन का भुगतान करने में असमर्थ होने के लिए लिखित रूप में स्वीकार करता है क्योंकि वे देय हैं या, यदि ऋणी अपनी किसी भी ऋणग्रस्तता के पुनर्निर्धारण या पुनर्गठन के लिए किसी भी लेनदार के साथ बातचीत शुरू करता है।
- (xi) सावधि लोन प्रदान करना लागू कानूनों के अनुसार नहीं है या लोन की शर्तें इसकी शर्तों के अनुसार प्रभावी नहीं हैं या ऋणी (ओं) द्वारा किसी अन्य कारण से इसकी शर्तों के अनुसार अप्रभावी होने का आरोप लगाया गया है या यह ऋणी (ओं) के लिए वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए गैरकानूनी हो जाता है
- (xii) कोई अन्य घटना जो विज़डम फाइनेंस की एकमात्र राय में ऋणी की देय राशि के पुनर्भुगतान को खतरे में डालेगी।

6.2 डिफॉल्ट की घटना हुई है या नहीं, इस बारे में विज़डम फाइनेंस का निर्णय ऋणी पर बाध्यकारी होगा।

7. डिफॉल्ट के परिणाम

- 7.1 डिफॉल्ट की किसी भी घटना के होने पर और उसके बाद किसी भी समय, विज़डम फाइनेंस का अधिकार होगा, लेकिन सावधि लोन के संबंध में देय सभी राशियों को घोषित करने का दायित्व नहीं होगा, चाहे देय हो या नहीं, तुरंत चुकाने योग्य और ऋणी पर 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उक्त भुगतान करने में विफल रहने पर, विज़डम फाइनेंस अपने विवेकाधिकार पर किसी अन्य अधिकार या उपाय का प्रयोग कर सकता है जो किसी भी लागू कानून के तहत विज़डम फाइनेंस को उपलब्ध हो सकता है, जिसमें ऋणी या उनकी संपत्ति के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा राहत या कुर्की की मांग करना शामिल है।
- 7.2 विज़डम फाइनेंस कानून द्वारा अनुमत किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग कर सकता है, जिसमें मुकदमे द्वारा, इक्विटी में, या कानूनी कार्रवाई द्वारा, या दोनों, या अन्यथा, चाहे किसी भी प्रतिज्ञा पत्र, शर्त या अवधि के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए हो वित्तपोषण दस्तावेज, या वित्तपोषण दस्तावेजों में दी गई किसी भी शक्ति या अधिकार के प्रयोग की सहायता में और/या एक लेनदार के रूप में।
- 7.3 ऋणी पूर्वगामी चूक या विज़डम फाइनेंस उपायों के प्रयोग के परिणामस्वरूप सभी कानूनी और अन्य लागतों और खर्चों के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होगा।
- 7.4 विज़डम फाइनेंस के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार के बावजूद, विज़डम फाइनेंस ऋणी के खिलाफ

आपराधिक कार्यवाही या कोई अन्य उचित कार्रवाई शुरू करने का हकदार होगा यदि किसी भी समय विज़डम फाइनेंस के पास अपने विवेकाधिकार पर, यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार है कि ऋणी ने कोई गलत बयानी की है और/या विज़डम फाइनेंस को कोई जाली दस्तावेज या गढ़ा हुआ जानकारी प्रस्तुत की है।

- 7.5 विज़डम फाइनेंस को ऋणी (ओं) को सभी अवैतनिक ईएमआई के बराबर परिसमापन क्षति का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, जो डिफॉल्ट की स्थिति की अनुपस्थिति में, ऋणी (ओं) द्वारा पूरी अवधि के लिए देय होती। विज़डम फाइनेंस ऋणी (ओं) से विज़डम फाइनेंस के कारण किसी भी पैसे के खिलाफ सेट-ऑफ के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है और ऋणी से ऋणी की देय राशि की रिकवरी के लिए विज़डम फाइनेंस के साथ आयोजित ऋणी के सभी खातों को संयोजित कर सकता है। वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत विज़डम फाइनेंस को प्रदत्त सभी अधिकार और शक्तियां किसी भी अधिकार के अतिरिक्त और पूरक होंगी जो विज़डम फाइनेंस के पास किसी भी कानून और सुरक्षा दस्तावेजों के तहत ऋणी के खिलाफ लेनदार के रूप में है और उसके अपमान में नहीं होगा।

8. प्रकटीकरण

- 8.1 ऋणी, सावधि लोन, डिफॉल्ट, यदि कोई हो, से संबंधित सभी जानकारी और जानकारी का खुलासा करने के लिए विज़डम फाइनेंस को स्वीकार व अधिकृत करता है, ऋणी द्वारा ऐसे तृतीय पक्षों/एजेंसियों को प्रतिबद्ध है जैसा कि विज़डम फाइनेंस क्रेडिट सूचना कंपनियों सहित आरबीआई द्वारा प्रकट करने और/या अधिकृत करने के लिए उचित और आवश्यक समझे। ऋणी ऐसी जानकारी को स्वीकार करता है और उसे अधिकृत करता है जिसका उपयोग विज़डम फाइनेंस/तृतीय पक्ष/आरबीआई द्वारा किया जाता है, जिसे वे लागू कानूनों के अनुसार उचित समझ सकते हैं। इसके अलावा, चूक की घटना की घटना पर, विज़डम फाइनेंस और ऐसी एजेंसियों के पास लागू कानूनों के अनुसार, ऋणी/या उसके निदेशकों/भागीदारों/सह-आवेदकों के नाम का खुलासा या प्रकाशन करने का एक अयोग्य अधिकार होगा, जैसा लागू हो, 'डिफॉल्टर्स' के रूप में इस तरह से और ऐसे माध्यम से जैसे कि विज़डम फाइनेंस/आरबीआई / अन्य अधिकृत एजेंसी अपने पूर्ण विवेक में उचित समझे, जिसमें अखबारों, पत्रिकाओं और सोशल मीडिया शामिल हैं।
- 8.2 ऋणी विज़डम फाइनेंस को अभी या भविष्य में जानकारी साझा करने और/या खुलासा करने के लिए और ऋणी और/या उसके कारण अन्य द्वारा झेले गए किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। इस खंड के प्रावधान जीसी की समाप्ति और ऋणी के देय के पुनर्भुगतान से बचे रहेंगे।

9. विविध

- 9.1 विज़डम फाइनेंस के रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियां अस्तित्व का निर्णायक प्रमाण होंगी और ऋणी की देय राशि और विज़डम फाइनेंस द्वारा प्रस्तुत देय राशि का कोई भी विवरण ऋणी द्वारा स्वीकार किया जाएगा और ऋणी पर बाध्यकारी होगा।
- 9.2 ऋणी की देय राशियों के पुनर्भुगतान के लिए ऋणी का दायित्व, उस मामले में जहां एक से अधिक ऋणीओं ने किसी सुविधा के लिए संयुक्त रूप से आवेदन किया है, संयुक्त और कई होंगे।
- 9.3 ऋणी सभी दस्तावेजों और संशोधनों को निष्पादित करेगा और विज़डम फाइनेंस के साथ सहयोग करेगा जैसा कि विज़डम फाइनेंस द्वारा आवश्यक है: (i) आरबीआई के किसी भी दिशानिर्देश/निर्देशों का पालन करने के लिए, या (ii) विज़डम फाइनेंस को वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अधिकारों का पूर्ण लाभ देने के लिए। पूर्वोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना ऋणी एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमति देता है कि ऐसा करने में विफलता पर, ऐसे परिवर्तनों को वित्तपोषण दस्तावेजों में शामिल माना जाएगा और ऋणी पर बाध्यकारी होगा।

9.4 किसी भी सुविधा के किसी भी निलंबन या समाप्ति के बावजूद, वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार विज़डम फाइनेंस के सभी अधिकार और उपचार तब तक जीवित रहेंगे जब तक कि ऋणी की देय राशि की विज़डम फाइनेंस द्वारा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो जाती।

9.5 ऋणी स्वीकार करता है कि वित्तीय दस्तावेजों के तहत ऋणी द्वारा देय और या सहमत ब्याज दर, अतिदेय प्रभार और अन्य प्रभार उचित और स्वीकार्य हैं।

9.6 ऋणी स्पष्ट रूप से पहचानता है और स्वीकार करता है कि विज़डम फाइनेंस इस तरह की गतिविधियों को स्वयं या अपने कार्यालय के कर्मचारियों के माध्यम से करने के अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हकदार होगा और उसके पास एक या अधिक तृतीय पक्षों को नियुक्त करने के लिए पूर्ण शक्ति और अधिकार है (इसके बाद "सेवा प्रदाता" के रूप में संदर्भित) जैसा कि विज़डम फाइनेंस चयन कर सकता है और ऐसी पार्टी को अपने सभी या किसी भी कार्य को सौंप सकता है, ऋणी प्रशासन से संबंधित जानकारी की सोर्सिंग, पहचान और सत्यापन, सुविधा की निगरानी और सभी वैध कृत्यों, कार्यों, मामलों और उससे जुड़ी चीजों को निष्पादित करने और निष्पादित करने और निष्पादित करने से संबंधित वित्तीय दस्तावेजों के तहत अधिकार और शक्ति, जिसमें नोटिस भेजना, ऋणी से संपर्क करना, विज़डम फाइनेंस के पक्ष में ऋणी से नकद / चेक / ड्राफ्ट / जनादेश प्राप्त करना शामिल है। विज़डम फाइनेंस ऋणी के एकमात्र जोखिम और लागत पर, ऋणी की देय राशि एकत्र करने के लिए सेवा प्रदाता (प्रदाताओं) को संलग्न करने का भी हकदार होगा और आगे ऋणी से संबंधित ऐसी जानकारी, तथ्यों और आंकड़ों को साझा करने का हकदार होगा जैसा कि विज़डम फाइनेंस पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझता है। इस संबंध में, विज़डम फाइनेंस ऐसे सेवा प्रदाता (प्रदाताओं) को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और इससे जुड़ी चीजों, या आकस्मिक कार्यों को करने और निष्पादित करने का अधिकार और अधिकार भी सौंप सकता है, जैसा कि विज़डम फाइनेंस उचित समझे। ऋणी को ऐसे सेवा प्रदाता (प्रदाताओं) की नियुक्ति के बारे में ईमेल/संदेश के माध्यम से अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा। ऋणी ऐसे प्रतिनिधिमंडल को पहचानता है, स्वीकार करता है और सहमति देता है।

9.7 ऋणी एतद्वारा विज़डम फाइनेंस को सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पता प्रमाणपत्र, पहचान प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी वाले अन्य दस्तावेज शामिल हैं, जो किसी भी सुविधा को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और वे विज़डम फाइनेंस द्वारा उसी के बाद के प्रतिधारण के लिए भी सहमति देते हैं।

9.8 ऋणी समय-समय पर ऋणी के पैन नंबर/पैन कार्ड की प्रति, अन्य पहचान प्रमाण और बैंक खाता विवरण प्राप्त करने के लिए विज़डम फाइनेंस को स्वीकृति और अधिकृत करता है और ब्यूरो रिपोर्ट और ऐसी अन्य रिपोर्ट भी तैयार करने/प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है और जब भी विज़डम फाइनेंस उचित समझे। ऋणी एतद्वारा सहमति भी देता है और विज़डम फाइनेंस को आधार ई-केवाईसी या अन्यथा द्वारा अपना केवाईसी सत्यापन करने के लिए अधिकृत करता है और आधार ई-केवाईसी के माध्यम से इस तरह के सत्यापन की प्रक्रिया को विधिवत पूरा करने के लिए या अन्यथा ऐसी सभी कार्यवाहियों के लिए अधिकृत करता है और ऐसी जानकारी को किसी भी प्राधिकरण के साथ साझा करता है और ऐसी जानकारी को उस तरीके से संग्रहीत करता है जो वह उचित समझे।

9.9 किसी भी घटना, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य संबंधी जानकारी, दस्तावेज, प्राधिकरण, कार्यवाही, कृत्य, डिफॉल्ट, दावे, उल्लंघन, चूक या अन्यथा सहित किसी भी मामले की भौतिकता के संबंध में विज़डम फाइनेंस और ऋणी के बीच किसी भी असहमति या विवाद की स्थिति में, उपरोक्त में से किसी की भौतिकता के संबंध में विज़डम फाइनेंस की राय अंतिम होगी और ऋणी पर बाध्यकारी होगी।

9.10 ऋणी और विज़डम फाइनेंस पारस्परिक रूप से लोन शर्तों पर एक नई सुविधा प्रदान करने और ऋणी द्वारा इस तरह के आगे के पत्र/वचन पत्र के निष्पादन पर सहमत हो सकते हैं जैसा कि विज़डम फाइनेंस

द्वारा आवश्यक हो सकता है।

10. अधित्याग

अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का प्रयोग करने में विज़डम फाइनैस की विफलता या देरी छूट या अधिग्रहण के रूप में काम नहीं करेगी, न ही किसी भी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का कोई एकल या आंशिक अभ्यास किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय के किसी भी आगे या प्रयोग को रोकेगा।

ऋणी स्पष्ट रूप से समझता है कि ऋणी (ओं) और विज़डम फाइनैस के बीच संबंध विशुद्ध रूप से वित्तीय है और इस अनुबंध की शर्तों तक ही सीमित है और विज़डम फाइनैस द्वारा प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के संबंध में नहीं है। तदनुसार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधान इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या इसके संबंध में होने वाले किसी भी लेनदेन पर लागू नहीं होंगे।

11. पृथक्करणीयता

ऋणी स्वीकार करता है कि इन वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत उसका प्रत्येक दायित्व स्वतंत्र है और बाकी हिस्सों से अलग है।

12. शासी कानून और अधिकार क्षेत्र

12.1 सभी सुविधा और वित्तपोषण दस्तावेजों को भारत के कानूनों के अनुसार नियंत्रित और समझा जाएगा।

12.2 यहां निहित विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले और/या दावे से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, विवाद और/या दावे, जिसमें इसके निर्माण, व्याख्या, अर्थ, दायरे, संचालन, प्रभाव और/या वैधता ("विवाद") शामिल हैं, को एक स्वतंत्र संस्था प्रीसोल्व360, इसके विवाद समाधान नियमों ("नियम") के अनुसार, द्वारा प्रशासित मध्यस्थता द्वारा हल किया जाएगा। दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि मध्यस्थता नियमों के तहत नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष होगी। मध्यस्थता की न्यायिक सीट बेंगलूर, भारत होगी। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी। मध्यस्थता कार्यवाही को नियंत्रित करने वाला कानून भारतीय कानून होगा। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। उपरोक्त के अधीन, सीट पर सक्षम न्यायालयों के पास विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

12.3 पक्ष प्रीसोल्व360 (<https://presolv360.com/>) के ऑनलाइन विवाद समाधान ("ओडीआर") प्लेटफॉर्म के माध्यम से वस्तुतः मध्यस्थता कार्यवाही करने के लिए सहमत हैं और, इस उद्देश्य के लिए, अनुबंध में उपलब्ध, प्रदान किए गए या अन्यथा संदर्भित ईमेल पते और/या मोबाइल नंबरों पर विचार किया जाएगा। प्रत्येक पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान अपने ईमेल पते और/या मोबाइल नंबर में किसी भी बदलाव की स्थिति में ऐसी संस्था को सूचित करने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि मध्यस्थ की राय में मध्यस्थता कार्यवाही को वस्तुतः प्रशासित नहीं किया जा सकता है, तो कार्यवाही शारीरिक रूप से आयोजित की जाएगी, और कार्यवाही का स्थान मध्यस्थ द्वारा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा, जिसमें पक्षों की सुविधा भी शामिल है।

12.4 इसके अलावा, वर्तमान खंड वित्तपोषण दस्तावेजों की समाप्ति से बच जाएगा। बेंगलूरु, भारत के न्यायालयों के पास वित्तपोषण दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले किसी भी या सभी विवादों पर विशेष अधिकार क्षेत्र

(मध्यस्थता कार्यवाही के अधीन जो बेंगलुरु, भारत में भी आयोजित की जानी है) होगी।

13. नोटिस

13.1 वित्तपोषण दस्तावेजों के संबंध में ऋणी को दी जाने वाली किसी भी सूचना को वैध रूप से दिया गया माना जाएगा यदि ऋणी को तामील किया गया हो या पंजीकृत डाक द्वारा ऋणी के मौजूदा या अंतिम ज्ञात व्यवसाय या निजी पते पर भेजा गया हो या छोड़ दिया गया हो। पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए ऐसे किसी भी नोटिस को ऋणी द्वारा उसकी तैनाती के समय से 48 घंटों के भीतर प्राप्त किया गया माना जाएगा। विज़डम फाइनेंस को कोई भी नोटिस केवल तभी वैध माना जाएगा जब विज़डम फाइनेंस द्वारा उसके उपर्युक्त पते पर प्राप्त किया गया हो।

14. असाइनमेंट

14.1 ऋणी संयुक्त रूप से या अलग-अलग हस्तांतरण या किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्व या कर्तव्यों को सौंपने या विज़डम फाइनेंस की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई तृतीय-पक्ष हित बनाने का हकदार नहीं होगा।

14.2 विज़डम फाइनेंस किसी भी तरीके से (संपूर्ण या आंशिक रूप से और भागीदारी अधिकारों के अनुदान के माध्यम से) अपने सभी या किसी भी लाभ, अधिकार, दायित्व, कर्तव्यों और/या देनदारियों को वित्तीय दस्तावेजों के तहत बेचने, स्थानांतरित करने, असाइन करने या प्रतिभूतिकरण करने का हकदार होगा, बिना ऋणी को पूर्व लिखित सहमति या सूचना के और ऐसी शर्तों के रूप में जो विज़डम फाइनेंस तय कर सकता है। इस तरह के हस्तांतरण, असाइनमेंट या प्रतिभूतिकरण की स्थिति में, ऋणी ऐसे समनुदेशिनी या हस्तांतरणकर्ता को वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने दायित्व का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी स्थिति में, ऋणी शेष एनएसीएच को हस्तांतरिनी/समनुदेशिनी के पक्ष में प्रतिस्थापित करेगा यदि विज़डम फाइनेंस द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है।

15. क्षतिपूर्ति

15.1 ऋणी एतद्वारा क्षतिपूर्ति, बचाव करता है और विज़डम फाइनेंस, उसके कर्मचारियों, प्रतिनिधियों और सलाहकारों को समय-समय पर हानिरहित रखता है और किसी भी देयता, दावे, हानि, निर्णय, क्षति, लागत या व्यय के खिलाफ (बिना सीमा के, उचित वकील की फीस और व्यय, सहित) ऋणी द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों या घटना में निहित किसी भी नियम और शर्तों और दायित्वों का पालन करने या प्रदर्शन करने में किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप या उत्पन्न होता है डिफॉल्ट या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत विज़डम फाइनेंस द्वारा किसी भी अधिकार का प्रयोग, जिसमें सुरक्षा के किसी भी प्रवर्तन या ऋणी की देय राशि की रिकवरी शामिल है।

16. शिकायत निवारण

यदि ऋणी को सुविधा के संबंध में कोई शिकायत है, या उससे संबंधित कोई मामला है, तो ऋणी किसी भी कार्य दिवस में (सोमवार से शुक्रवार - सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) सुबह 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे के बीच ग्राहक सेवा टीम से संपर्क कर सकता है:

पंजीकृत ई-मेल	customercare@whizdmfinance.com
कार्यालय के पते पर पोस्ट/कूरियर या व्यक्तिगत रूप से विजिट	विज़डम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड तीसरी मंजिल, सर्वे नंबर १७/१, तीसरी मंजिल, द एड्रेस बिल्डिंग, आउटर रिंग रोड, मराठाहल्ली, कडुबिसेनाहल्ली, बेंगलुरु – ५६०१०३
फोन नंबर	080-69501313

शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक <https://whizdmfinance.com/grievance-redressal/> देखें

17. स्वीकृति

मैं/हम जानता हूँ/जानते हैं कि विज़डम फाइनेंस इस जीसी के लिए एक पक्ष बनने के लिए तभी सहमत होगा जब मैं/हमारे द्वारा जीसी और अन्य वित्तपोषण दस्तावेजों में विज़डम फाइनेंस पॉलिसी के अनुरूप भरी गई सभी शर्तों और विवरणों के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो। मैं/हम सहमत हूँ/सहमत हैं कि यह जीसी पूर्ण हो जाएगा और उस तारीख को कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगा जब विज़डम फाइनेंस के अधिकृत अधिकारी बेंगलूर में इस पर हस्ताक्षर करेंगे या संवितरण की तारीख, जो भी पहले हो।

"मैं स्वीकार करता हूँ" पर क्लिक करके, ऋणी इलेक्ट्रॉनिक रूप से इन जीसी पर हस्ताक्षर करता है और कानूनी रूप से इसकी शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत होता है। इन जीसी की ऋणी की स्वीकृति का गठन होगा: (i) ऋणी अनुबंध अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करने और इन जीसी में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों से बिना शर्त बाध्य होने के लिए; और (ii) ऋणी की पावती और पुष्टि कि इन जीसी (वित्तपोषण दस्तावेजों के साथ) ऋणी द्वारा विधिवत पढ़े और पूरी तरह से समझे गए हैं।